न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 375 / 2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 रामलाल पुत्र काछबाराम जाति सुथार निवासी अन्तरीबाई स्कुल के पास लक्ष्मीपुरा बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।		1 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री भूरचन्द जांगीड, वकील प्रार्थी पक्ष।

आदेश

दिनांक 26/11/24

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का खातेदारी का खेत मौजा बाडमेर शहर पटवार हल्का बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 3519 / 1296 रकबा 15.01 बीघा खातेदारी की भूमि आई हुई है, जो भूमि प्रार्थी द्वारा पंजीबद्व विक्रय पत्रों के मार्फत प्राप्त की है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। प्रार्थी की भूमि में से बकाया रही भूमि दो भांगों में बराबर–बराबर विभक्त हो गई जिसके नये खसरे अंकित किये गये। राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन करते समय प्रार्थी के दोनों खसरों का रकबा गलत अंकन कर दिया गया दोनों खसरों का रकबा खसरा संख्या 3519 / 1296 रकबा 0.8812 हैक्टेयर व खसरा संख्या 4074 / 1296 रकबा 0.6475 हैक्टेयर कुल रकबा 1.5087 हैक्टेयर भूमि रेकर्ड में जमाबन्दी में गलत दर्ज करते हुए हुए राजस्व नक्शा में भी गलत तरमीम कर दी गई। प्रार्थी की खातेदारी के उक्त दोनों खसरा संख्या 3519 / 1296 रकबा 0.6475 यानि लगभग 04.00 बीघा खसरा संख्या 4074 / 1296 का रकबा 0.8612 यानि लगभग 06.00 बीघा मौके पर है लेकिन राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व नक्शा में बिना किसी सक्षम आदेश के रकबा आपस में उल्टे अंकित कर दिये गये। जिसके कारण मौके पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा बाडमेर शहर पटवार हल्का बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 3519 / 1296 रकबा 0.8812 हैक्टेयर व खसरा संख्या 4074 / 1296 रकबा 0.6475 हैक्टेयर कुल रकबा 1.5087 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व नक्शा में दोनों खसरों के रकबा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार खसरा संख्या 3519 / 1296 रकबा 0.6475 यानि लगभग 04.00 बीघा खसरा संख्या 4074 / 1296 का रकबा 0.8612 यानि लगभग 06.00 बीघा संशोधित करवाने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.12.23 10:20:36 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी [illegible] जा[illegible] नोटिस तलब कर मौका रिपोर्ट तलब की गई।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भू.अ[illegible]2024 / 576 दिनांक [illegible]2024 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 3519 / 1296 पूर्व राजस्व रेकर्ड में रकबा 15.01 बीघा भूमि अंकित था। प्रार्थी द्वारा

भिन्न–भिन्न खातेदारान को कुल रकबा 0.13.13 बीघा का भूमि का बेचान करने से नामान्तकरण संख्या 2111 दिनांक 30.12.2008 स्वीकृत होने से प्रार्थी का शेष रकबा 14.06.08 बीघा भूमि रहा। प्रार्थी द्वारा पुनः पृथक–पृथक 02.00 बीघा भूमि का बेचान करने पर नामान्तकरण संख्या 4029 दिनांक 05.05.2016 से प्रार्थी का मूल खसरा संख्या 3519 / 1296 विभाजित होकर खसरा संख्या 3519 / 1296 रकबा 08.06.08 बीघा व खसरा संख्या 4074 / 1296 रकबा 04.00 बीघा राजस्व रेकर्ड में अंकित हो गया तथा नक्शा लठ्ठा ट्रेस में भी दो पृथक–पृथक नम्बरों का अंकित कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 3519 / 1296 में अलग–अलग तीन बीघा भूमि का बेचान करने से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का खसरा संख्या 3519 / 1296 रकबा 05.06.08 बीघा (0.8612 हैक्टेयर) दर्ज है जबकि खसरा संख्या 4074 / 1296 का रकबा राजस्व रेकर्ड में 04.00 बीघा (0.6475 हैक्टेयर) यथावत है। नामान्तकरण संख्या 4029 की पुश्त पर अंकित तरमीम में दर्ज खसरा संख्या तथा लठ्ठा ट्रेस में अंकित खसरे सही–सही है। नक्शा लठ्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम की रकबाबरारी करने पर खसरा संख्या 4074 / 1296 का रकबा लगभग 05.06.08 बीघा (0.8612 हैक्टेयर) हो रहा है जबकि राजस्व रेकर्ड में उक्त खसरा का रकबा 0.6475 हैक्टेयर ही दर्ज है इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में अंकित खसरा संख्या 3519 / 1296 का रकबा 0.8612 हैक्टयर है लठ्ठा ट्रेस में रकबाबरारी करने पर रकबा कम है। मौके पर प्रार्थी के मूल खसरे व आस–पास के खसरों में घनी आबादी बसी होने से खसरे का सही सीमा ज्ञान किया जाना संभव नही है। प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी के दोनों खसरों का पारस्परिक रकबा दुरूस्त करने का आवेदन किया गया है। प्रार्थी द्वारा बेचान करने पर स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 4029 में अंकित खसरों का रकबा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सही है जबकि लठ्ठा ट्रेस में रकबाबरारी करने पर रकबे में अंतर आ रहा है।

उक्त मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी द्वारा बहस कर निवेदन किया कि तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में अंकित की रकबाबरारी करने पर खसरा संख्या 4074 / 1296 का रकबा लगभग 05.06.08 बीघा (0.8612 हैक्टेयर) हो रहा है जबकि राजस्व रेकर्ड में उक्त खसरा का रकबा 0.6475 हैक्टेयर ही दर्ज है इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में अंकित खसरा संख्या 3519 / 1296 का रकबा 0.8612 हैक्टयर है लठ्ठा ट्रेस में रकबाबरारी करने पर रकबा कम है। प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी के दोनों खसरों का पारस्परिक रकबा दुरूस्त करने का आवेदन किया गया है। प्रार्थी द्वारा बेचान करने पर स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 4029 में अंकित खसरों का रकबा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सही है जबकि लठ्ठा ट्रेस में रकबाबरारी करने पर रकबे में अंतर आ रहा है जिसके अनुसार दुरूस्त करेन पर अपनी सहमति प्रकट की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.12.23 10:20:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2075–2078, नक्शों, नामान्तकरणों एवं पुश्त पर अंकित तरमीम का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने मौका

रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 3519 / 1296 में अलग-अलग तीन बीघा भूमि का बेचान करने से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का खसरा संख्या 3519 / 1296 रकबा 05.06.08 बीघा (0.8612 हैक्टेयर) दर्ज है जबकि खसरा संख्या 4074 / 1296 का रकबा राजस्व रेकर्ड में 04.00 बीघा (0.6475 हैक्टेयर) यथावत है। नक्शा लठ्ठा ट्रेस में अंकित की रकबाबराबरी करने पर खसरा संख्या 4074 / 1296 का रकबा लगभग 05.06.08 बीघा (0.8612 हैक्टेयर) हो रहा है जबकि राजस्व रेकर्ड में उक्त खसरा का रकबा 0.6475 हैक्टेयर ही दर्ज है इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में अंकित खसरा संख्या 3519 / 1296 का रकबा 0.8612 हैक्टयर है लठ्ठा ट्रेस में रकबाबराबरी करने पर रकबा कम है। लिहाजा प्रार्थी का खातेदारी का खेत मौजा बाडमेर शहर पटवार हल्का बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 3519 / 1296 रकबा 0.8612 हैक्टेयर खसरा संख्या 4074 / 1296 का रकबा 0.6475 हैक्टेयर के स्थान पर खसरा संख्या 3519 / 1296 रकबा 0.6475 हैक्टेयर व खसरा संख्या 4074 / 1296 रकबा 0.8612 हैक्टेयर भूमि लठ्ठा ट्रेस में संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन तहसीलदार बाडमेरकी मौका रिपोर्ट के परीप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर शहर पटवार हल्का बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 3519 / 1296 रकबा 0.8612 हैक्टेयर खसरा संख्या 4074 / 1296 का रकबा 0.6475 हैक्टेयर के स्थान पर खसरा संख्या 3519 / 1296 रकबा 0.6475 हैक्टेयर व खसरा संख्या 4074 / 1296 रकबा 0.8612 हैक्टेयर भूमि लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 26/11/24 को सरें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.12.23 10:20:36 IST
Reason: SelfAttested